रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072024-255621
CG-DL-E-22072024-255621

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946
No. 388] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

प्रारूप

जल अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अनुसार औद्योगिक संयंत्रों की कुछ श्रेणियों को सहमति तंत्र से छूट

सा.का.नि. 425(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना जिसे केंद्र सरकार, उद्योगों की कुछ श्रेणियों को स्थापना-पूर्व सहमति/संचालन-पूर्व सहमति (सीटीई/सीटीओ) की अपेक्षा से छूट देने के लिए विनियमों को लाने के लिए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (एतत्पश्चात् 'जल प्रदूषण' के नाम से विनिर्दिष्ट) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, को एतद्वारा प्रभावित होने की संभावना वाली जनता और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। इसके अलावा, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त अधिसूचना पर केंद्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन पूरे होने पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस प्रारूप अधिसूचना में निहित किसी प्रस्ताव के बारे में अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहता है या कोई सुझाव देना चाहता है, वह निर्धारित अवधि के भीतर डाक द्वारा सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 के पास लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पते: mishra.vp@gov.in या prasoon.tripathi76@gov.in पर भेज कर ऐसा सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जहां कि, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को कुछ श्रेणियों के उद्योगों/गतिविधियों को स्थापना की सहमति (सीटीई)/संचालन की सहमति (सीटीओ) और पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) के दोहरे अनुपालन से छूट देने के उद्देश्य से संशोधित किया गया था;

और जहां कि मंत्रालय ने ऐसे उद्योगों को छूट देने के लिए अधिसूचना तैयार करने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से परामर्श किया था;

और जहां कि, इस अधिसूचना का उद्देश्य न केवल व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना, उद्योगों के अनुपालन संबंधी भार को कम करना है, बल्कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) स्तर पर कार्य में दोहराव को भी कम से कम करना भी है;

और जहां कि, इस अधिसूचना को तैयार करते समय यह ध्यान रखा गया है कि प्रदूषण की समुचित निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित किए जा सकें तथा सीटीई की प्रासंगिक शर्तें विधिवत रूप से पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) में एकीकृत की जा सकें।

अतः अब, केंद्र सरकार जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, कुछ श्रेणियों के उद्योगों/कार्यकलापों को पूर्व-सहमति की अनिवार्य शर्त से छूट देने के उद्देश्य से इन विनियमों को निम्नानुसार अधिसूचित करती है:

कुछ श्रेणियों के उद्योगों/कार्यकलापों को पूर्व-सहमति से छूट

1. पृष्ठभूमि

1.1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उच्च सहमति शुल्क, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुल्क-निर्धारण में असमानता, सहमति प्रदान करने में लगने वाले समय, प्रक्रियाओं के दोहराव आदि के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अपनाई गई सहमति प्रणाली पर अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

तत्पश्चात्, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के कतिपय क़ानूनों में संशोधन किया गया है तथा धारा 25 में एक परंतुक जोड़ा गया है, ताकि केंद्र सरकार आजीविका में सुगमता तथा व्यापार में सुगमता के लिए प्रवर्धित विश्वास आधारित शासन के उद्देश्य से कुछ उद्योगों/कार्यकलापों को सहमति तंत्र से छूट दे सके।

1.2. पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) की प्रक्रिया काफी व्यापक है और इसमें लगभग सभी मुद्दे, जिन पर सीटीई देते समय विचार किया जाता है, समग्र रूप से शामिल हैं। इसलिए, वस्तुतः, यह अनुपालन का दोहराव ही है जब समान उद्योगों/क्रियाकलापों को ईसी के साथ-साथ सीटीई प्राप्त करना अनिवार्य किया जाता है। इसके अलावा, यदि कोई मुद्दा छूट जाता है, तो उसे ईसी में एकीकृत किया जा सकता है।

1.3 उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचना सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी की जा रही है ।

2. **प्रभावी होने की तारीख :** यह अधिसूचना **हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा संघ राज्य क्षेत्रों एवं अन्य किसी राज्य, जो अनुच्छेद 252 के खंड (2) के साथ पठित खंड (1)के तहत** जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को अपनाता है, **में सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तुरंत ही** लागू होगी ।

3. सीपीसीबी द्वारा 'श्वेत' श्रेणी में वर्गीकृत सभी उद्योगों/ क्रियाकलापों को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अंतर्गत एसपीसीबी / पीसीसी से सीटीई और सीटीओ को प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त से छूट दी जाएगी, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

   क. इन इकाईयों को अपने संचालन के बारे में केवल स्व-घोषणा के रूप में एसपीसीबी/पीसीसी को सूचित करना होगा, तथा सभी प्रचलित नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होगा। उन्हें कोई सहमति शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

   ख. एसपीसीबी/पीसीसी ऐसे उद्योगों/क्रियाकलापों की सूची अलग से बनाए रखेंगे, जिसका समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।

   ग. एसपीसीबी/पीसीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी छूट प्राप्त इकाइयों द्वारा सूचित एवं श्रेणीबद्ध किए गए कार्यकलापों के अलावा कोई अन्य कार्यकलाप न किए जाएं।

4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की अपेक्षा वाली परियोजनाओं/गतिविधियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अलग से सीटीई प्राप्त करने से छूट दी जाएगी:

   क. उन्होंने उपर्युक्त अधिसूचना के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली है।

   ख. ऐसे सभी मामलों में सीटीई को ईसी के साथ एकीकृत माना जाएगा

   ग. आवश्यकतानुसार, सी.टी.ई. की शर्तों को ई.सी. की शर्तों में निम्नलिखित तरीके से एकीकृत किया जाएगा:

      (i) ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी परियोजना प्रस्तावक (पीपी) का आवेदन संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी, जैसी भी स्थिति हो, को भेजेगा ।

      (ii) संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी मामले की जांच करेगा और अपने द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर, जो 30 दिनों से कम नहीं होगी, अपनी टिप्पणियां उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।

      (iii) एसपीसीबी/पीसीसी अपनी टिप्पणियाँ भेजने से पहले, यदि आवश्यक हो, तो साइट का निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा, एसपीसीबी/पीसीसी, यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त जानकारी के लिए पीपी से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। एसपीसीबी/पीसीसी के प्रश्नों का उत्तर देने में पीपी द्वारा लिया गया कोई भी समय निर्धारित समय सीमा के अतिरिक्त होगा।

      (iv) पर्यावरणीय मंजूरी देने वाला प्राधिकारी पर्यावरणीय मंजूरी जारी करते समय अतिरिक्त शर्तों को शामिल करने के लिए संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी की टिप्पणियों पर विचार करेगा, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी शामिल होगा कि पीपी, पर्यावरणीय मंजूरी जारी करने के 30 दिनों के भीतर एसपीसीबी/पीसीसी को अपेक्षित सीटीई शुल्क का भुगतान करेगा।

      (v) सीटीई शुल्क के भुगतान के बाद ही ईसी का संचालन हो पाएगा। सीटीई शुल्क के भुगतान में 30 दिनों से अधिक की देरी होने पर संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा तय किया गया विलम्ब शुल्क लगाया जा सकता है।

घ. ऐसे उद्योगों/गतिविधियों को एसपीसीबी/पीसीसी से अलग से सीटीओ प्राप्त करना होगा तथा जहां भी आवश्यक हो, प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार अन्य प्राधिकरण/अनुमति भी प्राप्त करनी होगी।

5. उपरोक्त पैरा 3 और 4 में शामिल न किए गए उद्योगों/गतिविधियों को प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार सीटीई और सीटीओ तथा अन्य अनुमतियां प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. अधिनियम और इस अधिसूचना के प्रावधानों के अधीन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस अधिसूचना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

[फा. सं. क्यू-15012/1/2022-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2024

Draft

EXEMPTION OF CERTAIN CATEGORIES OF INDUSTRIAL PLANTS FROM CONSENT MECHANISM AS PER SECTION 25 OF THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974

G.S.R. 425(E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by Section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereafter referred as Water Act) for bringing out regulations for exemption of certain categories of Industries from requirement of prior Consent to Establish/Consent to Operate(CTE/CTO) is hereby published for information of the public and other stakeholders likely to be affected. Further, notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jar Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or electronically at email address mishra.vp@gov.in or prasoon.tripathi76@gov.in

Draft Notification

Whereas, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 was amended with a view to exempt certain categories of industries/activities from dual compliance of Consent To Establish (CTE)/Consent To Operate (CTO) and Environmental Clearance (EC);

And whereas, the Ministry consulted the Central Pollution Control Board (CPCB) to prepare the notification for exempting such Industries;

And whereas, this notification is intended not only to enhance ease of doing business, minimizing compliance burden of Industries, but also to reduce duplication in the work at the State Pollution Control Board (SPCB)/Pollution Control Committee (PCC) level;

And whereas, due care has been taken, while preparing this notification, that appropriate monitoring and compliance of pollution is ensured.

Now therefore, in exercise of powers conferred under Section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Central Government, hereby notifies these Regulations on exemption of certain categories of industries/activities from mandatory condition of prior consent, as follows:

Exemption of certain categories of industries/activitiesfrom prior consent

1. Background

1.1. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) and CPCB have received representation on consent mechanism adopted across the States and Union Territories in respect of high consent fees, non-uniformity in fee structure across States/UTs, time taken in grant of consent, duplication of procedures etc.

Subsequently, an amendment of certain provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 has been made and proviso to Section 25 is inserted to enable Central Government to exempt certain industries/activities from Consent Mechanism for enhanced trust-based governance, ease of living and ease of doing business.

1.2. The Procedure for EC is quite comprehensive and covers almost all the issues holistically which are considered while giving CTE. Hence, in effect, it's a duplication of compliance when same industries/activities are mandated to obtain EC as well as CTE. Further, if any issues are left out, they may be integrated in the EC.

1.3. Keeping in view the above issues, this notification is being issued for public consultation.

2. Date of Coming into Effect: This notification shall come into force**,** at once in the States of Himachal Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh and the Union territories from the date of notification in official gazette, and in any other State which adopts Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 under clause (1) of article 252 of the constitution read with clause (2) thereof; from the date of such adoption.

3. All industries/activities categorized as 'White' by CPCB shall be exempted from the mandatory condition of obtaining CTE and CTO from SPCBs/PCCs under Section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, subject to the following conditions:

a. These units will have to intimate about their operation to SPCBs / PCCs in the form of a self-declaration, complying with all the prevalent rules and regulations. They are not required to pay any consent fee.

b. SPCBs / PCCs shall maintain list of such industries/ activities separately, which shall be updated from time to time.

c. SPCBs / PCCs shall ensure that no activities other than those intimated, are carried out by such exempted units.

4. The projects / activities requiring prior EC as per the Environmental Impact Assessment notification, 2006 (as amended from time to time) under Environment (Protection) Act, 1986 shall be exempted from obtaining CTE separately, subject to following conditions:

a. They have obtained necessary EC from the competent authority under the notification referred above.

b. CTE in all such cases shall be deemed to have been integrated with EC

c. The Conditions of CTE, as may be required, will be integrated in the conditions of EC itself in the following manner:

(i) The competent authority for issuance of EC under EIA Notification, 2006 shall communicate the application of the Project Proponent (PP) to the concerned SPCB/PCC, as the case may be.

(ii) The concerned SPCB/PCC will examine the case and communicate its comments to the above referred competent authority within the time limit prescribed by it, which shall not be less than 30 days.

(iii) SPCB / PCC may undertake inspection of the site, if required before sending their comments. Further, SPCB / PCC may also raise queries to the PPs for additional information, if required. Any time taken by the PPs in responding to the queries of SPCBs / PCCs shall be in addition to the time limit prescribed.

(iv) The EC granting authority shall consider the comments of the concerned SPCB/PCC for inclusion of additional conditions while issuing the EC, which will inter-alia, include that the PP shall pay the requisite CTE fee to SPCBs/PCCs within 30 days of issuance of EC.

(v) The EC will become operational only after the payment of CTE fee. Delay in payment of CTE fee beyond 30 days may attract late fee as may be decided by the concerned SPCB / PCC.

(d) Such industries / activities shall be required to obtain CTO separately from the SPCB / PCC and any other authorization /permission, wherever required as per the prevailing rules and regulations.

5. Industries/ activities not included in para 3 and 4 above shall be required to obtain CTE and CTO and other permissions, as per the prevailing rules and regulations.

6. Subject to the provisions of the Act and this notification, MoEFCC may issue necessary guidelines for smooth implementation of this notification.

[F. No. Q-15012/1/2022-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA